

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2015

आवश्यक सूचना

W.P. (S) संख्या- 3239/2017 मिथुन कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 11.08.2017 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में प्रत्येक जिला तथा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस (जैप) के कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले वैसे अभ्यर्थियों का पुनः चिकित्सीय परीक्षण उच्च स्तरीय चिकित्सा पर्षद द्वारा कराया जाना है जो चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित हैं।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-14/स्वा0 वि0 को0-26/17-169 (वि0को0) दिनांक-14.09.2017 के अनुसार गठित Apex Medical Board के द्वारा निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण सदर अस्पताल, राँची में दिनांक- 10.10.2017 से 31.10.2017 तक 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक- 31.10.2017 को निर्धारित करते हुये इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। भूलवश निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को दिनांक- 31.10.2017 को निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण की सूची में शामिल किया गया था, जिसे विलोपित किया जाता है:-

218040293, 220091072

पूर्व प्रकाशित सूची इस हद तक संशोधित की जाती है।

ह./-
परीक्षा नियंत्रक